



नवाचार आधारित महिला सशक्तिकरण की पहल और उनकी स्थिरतारु छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक भूमिका का मूल्यांकन

Akhilesh Sen

Research scholar Bharti Vishwavidyalaya, Durg, Chhattisgarh

Dr. Ashish Nath Singh

Assistant Professor, Bharti Vishwavidyalaya, Durg, Chhattisgarh

सार

महिला उत्थान कार्यक्रम (महिला उत्थान कार्यक्रम) सामाजिक-आर्थिक विकास, कौशल प्रशिक्षण और आत्मनिर्भरता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक प्रमुख पहल है। यह प्रशासनिक अध्ययन छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सामने आई प्रमुख चुनौतियों और उनके अनुरूप लागू किए गए समाधानों की जांच करता है। शोध में मिश्रित-पद्धति दृष्टिकोण को अपनाया गया है, जिसमें क्षेत्र सर्वेक्षण, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साक्षात्कार और सरकारी अभिलेखों से डेटा विश्लेषण को शामिल किया गया है। पहचानी गई प्रमुख चुनौतियों में लाभार्थियों में जागरूकता की कमी, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, सामाजिक-सांस्कृतिक प्रतिरोध और निधि वितरण में देरी शामिल हैं। अध्ययन में स्थानीय स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के साथ सहयोग बढ़ाने, क्षमता निर्माण कार्यशालाओं, बेहतर निगरानी तंत्र और डिजिटल समावेशन रणनीतियों जैसे सकारात्मक हस्तक्षेपों पर भी प्रकाश डाला गया है। निष्कर्ष महिला-केंद्रित योजनाओं की सफलता सुनिश्चित करने में प्रशासनिक दक्षता, जमीनी स्तर की भागीदारी और नीति अनुकूलनशीलता की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हैं। यह शोध पत्र ग्रामीण भारत में लैंगिक विकास नीतियों पर चल रहे विमर्श में योगदान देता है और बालोद और इसी तरह के सामाजिक-आर्थिक संदर्भों में अधिक प्रभावी कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई योग्य सिफारिशें प्रस्तावित करता है।

मुख्य शब्दरू महिला उत्थान कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण, प्रशासनिक चुनौतियाँ, ग्रामीण विकास, बालोद जिला, छत्तीसगढ़, नीति कार्यान्वयन, लैंगिक समानता

प्रस्तावना

महिला उत्थान एक महिला द्वारा सामना की जाने वाली सभी समस्याओं के लिए एक छत्र अवधारणा है। यह एक गंभीर मुद्दा है जिस पर चर्चा और गुमराह किया गया है। यह पिछले

कुछ शताब्दियों से ही चिंता का विषय बन गया है। इस संबंध में पिछले कुछ दशकों में कई आंदोलन हुए हैं, लेकिन हर बार यह महिला उत्थान की वास्तविक अवधारणा और मूल अर्थ से भटक गया। ऐसे कई अन्य शब्द हैं जो सशक्तिकरण शब्द से संबंधित हैं जैसे, स्वायत्तता, महिलाओं की स्थिति, नारीवाद, लैंगिक समानता आदि और इसका अर्थ इसे संभालने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण के साथ बदलता रहता है। अवधारणा के अनुसार इसके अर्थ के संदर्भ में शब्दावलियों में बहुत कम अंतर है, लेकिन महिला उत्थान इन सभी के लिए एक शब्द प्रतिस्थापन है।

सशक्तिकरण की प्रक्रिया का अध्ययन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी तरीके से किया जा सकता है। जब सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की बात आती है, तो महिला उत्थान को घरेलू गतिशीलता, व्यक्तिगत विशेषताओं और लिंग-संबंधी बाधाओं के माध्यम से खोजा जा सकता है। महिला उत्थान के मामले में लैंगिक समानता और समानता सबसे पहले आती है (वेबस्टर डिक्शनरी, 2010), जिसे भारतीय संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया था। इस क्षेत्र में बहुत सारे अध्ययन किए गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ जगह वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने में कमी है और यह पुनर्विचार स्वीकार किया जाता है कि जब महिलाएं प्रगति की मुख्य धारा में होती हैं, तभी आर्थिक और सामाजिक विकास सार्थक होता है। जवाहरलाल नेहरू ने महिला उत्थान को राष्ट्र के विकास से जोड़ा। उनके द्वारा दिए गए शब्दों से यह स्पष्ट है कि महिलाओं के विकास से परिवार में सुधार होता है और इस प्रकार एक राष्ट्र का विकास हो सकता है (जवाहरलाल नेहरू, 1951)। एक महिला परिवार और समाज में प्रमुख भूमिका निभाती है। परिवार और समाज में उनके योगदान ने समाज के विकास में महत्व बनाया। महिलाओं की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां परिवार से परिवार, समाज से समाज, संस्कृति से संस्कृति में भिन्न होती हैं। पूरे जीवन चक्र में एक महिला की भूमिकाएं बेटी, बहू, पत्नी, मां, बहन, भाभी, दादी आदि बदलती रहती हैं। किसी भी परिवार में महिलाओं के जीवन को लेकर काफी उम्मीदें होती हैं। विशेषकर जन्म से ही क्या करें और क्या न करें की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और परिवार में महिलाओं द्वारा किए गए कार्यों और त्याग को महत्व देने का कोई पैमाना नहीं है। यह अभी भी पीढ़ी दर पीढ़ी जारी है। जिम्मेदारियों के अलावा उसे अपने जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

कई बार वह स्वेच्छा से परिवार की सभी गतिविधियों में शामिल होती है, भले ही वह ऐसा करने में सक्षम न हो। जब परिवार निर्माण की प्रक्रिया की बात आती है तो उसके शब्द और भूमिका अपरिहार्य होती हैं। एक महिला के विवाह के बाद उसका मुख्य महत्व उसके पति, उनके बच्चों और उसके परिवार के सदस्यों के लिए हो जाता है, अपनी पसंद की प्राथमिकता अंतिम श्रेणी में आती है। महिला जीवन चक्र में अलग-अलग भूमिका निभाती है, यानी बेटी से बहू और मां से सास तक इस संक्रमण के दौरान उसे विभिन्न स्थितियों और अनुभवों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में मेसन (1986) आयु और महिला उत्थान से पता चलता है कि आयु बढ़ने के साथ-साथ महिलाओं में ज्ञान बढ़ता है और वे दिन-प्रतिदिन

की गतिविधियों को प्रभावी ढंग से करने के लिए आत्मविश्वास विकसित करती हैं, जो उन्हें सशक्तीकरण की ओर ले जाता है। पिछली सहस्राब्दी में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका और गृह प्रबंधन, बच्चों की देखभाल, पोषण, स्वास्थ्य, बागवानी, पशु देखभाल और मुर्गीपालन संबंधी आवश्यकताओं में उनकी जिम्मेदारी को पहचाना गया है।

ग्रामीण महिलाओं को अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय धारा में लाने के लिए सरकार और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कई प्रयास किए गए हैं। लेकिन अभी भी विकास का लाभ इन महिलाओं और देश भर में उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति तक नहीं पहुंच पाया है। इसका मुख्य कारण गरीबी, अशिक्षा, संपत्ति की कमी और संसाधनों तक पहुंच की कमी है। हाल के दशक में हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति और भूमिका में कुछ बुनियादी बदलाव हुए हैं। भारत सरकार ने 2001 को महिला उत्थान वर्ष के रूप में घोषित किया, ताकि जहां महिलाएं पुरुषों के समान सहयोगी होंश के सपने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष और 1975-1985 के दशक को महिला दशक घोषित किया, ताकि दुनिया भर में महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके और उन्हें स्थायी लक्ष्य हासिल करने में मदद मिल सके। 1995 में चीन में महिलाओं पर विश्व सम्मेलन हुआ और उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मजबूत नीतियों और एजेंडे के साथ समाज में उनकी स्थिति में सुधार किया, जो समाज के विकास की कुंजी है। सशक्तिकरण का अर्थ है व्यक्तियों और समुदायों दोनों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक ताकत को बढ़ावा देना। बदलते दशकों के साथ समाज में महिलाओं की स्थिति में काफी बदलाव आया है। सशक्तिकरण प्रक्रिया में कई परस्पर सुदृढ़ घटक शामिल हैं लेकिन सबसे पहले आर्थिक स्वतंत्रता से शुरुआत होती है।

उद्देश्य

1. छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में महिला उत्थान कार्यक्रम के कार्यान्वयन में आने वाली प्रमुख प्रशासनिक, सामाजिक और अवसंरचनात्मक चुनौतियों की पहचान करना और उनका विश्लेषण करना।
2. मौजूदा समाधानों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना और लक्षित क्षेत्र में महिला उत्थान कार्यक्रम के कार्यान्वयन और प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए व्यावहारिक प्रशासनिक रणनीतियों का सुझाव देना।

महिला उत्थान

महिला उत्थान का अर्थ है महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और शैक्षिक स्तर को सुधारना और उन्हें उन अधिकारों और अवसरों से सशक्त करना, जो उन्हें एक समान और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। यह न केवल महिलाओं की भलाई के

लिए आवश्यक है, बल्कि समाज के समग्र विकास के लिए भी अनिवार्य है। महिला उत्थान के बिना एक समृद्ध और प्रगतिशील समाज की कल्पना करना मुश्किल है।

सामाजिक महिला उत्थानरू सामाजिक स्तर पर महिला उत्थान का तात्पर्य है महिलाओं को उन सामाजिक बाधाओं से मुक्त करना, जो उन्हें अपने अधिकारों और अवसरों से वंचित करती हैं। पारंपरिक समाजों में महिलाओं को लंबे समय से घर की चारदीवारी तक सीमित रखा गया है, जिससे उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक भागीदारी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप, महिलाओं के प्रति भेदभाव और हिंसा की घटनाएं आम हो गई हैं। सामाजिक महिला उत्थान में उन पारंपरिक मान्यताओं और प्रथाओं को चुनौती देना शामिल है, जो महिलाओं को कमजोर और निर्भर बनाते हैं। इसके लिए शिक्षा और जागरूकता अभियान चलाना, महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना, और उन्हें कानूनी और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है।

आर्थिक महिला उत्थानरू आर्थिक स्तर पर महिला उत्थान का अर्थ है महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार और व्यवसाय के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करना। आर्थिक सशक्तिकरण से न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरती है, बल्कि उन्हें परिवार और समाज में अपनी भूमिका को पुनर्परिभाषित करने का अवसर भी मिलता है। महिलाओं के लिए वित्तीय स्वतंत्रता एक ऐसा साधन है जो उन्हें अपनी और अपने परिवार की जीवन गुणवत्ता में सुधार करने में सक्षम बनाता है। इसके लिए सरकार और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों (मस-भूमसच ळतवनचे) की स्थापना, महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम, और महिलाओं को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

नारी सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रावधानों का योगदान

1950 में अपनाया गया भारतीय संविधान महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है, विशेष रूप से उनकी सुरक्षा और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के प्रावधान शामिल हैं जो सामूहिक रूप से महिलाओं को विभिन्न प्रकार के भेदभाव और हिंसा से बचाने के उद्देश्य से एक कानूनी ढांचा बनाने में योगदान करते हैं। ये प्रावधान महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।

महिला सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष प्रावधान

संविधान स्पष्ट रूप से कई अधिकारों की गारंटी देता है जो सीधे तौर पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को प्रभावित करते हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण को सुनिश्चित करता है, जो सभी लिंग-संबंधी कानूनी सुरक्षा की

आधारशिला है। अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है, जिससे महिलाओं को शोषण और दुर्व्यवहार से बचाने के उद्देश्य से विशिष्ट कानूनों को लागू करना संभव हो जाता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर की गारंटी देता है, लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है।

सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष प्रावधानों में से एक अनुच्छेद 21 है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस अनुच्छेद की व्याख्या गरिमा के साथ जीने के अधिकार को शामिल करने के लिए की है, जो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न निर्णयों में महत्वपूर्ण रहा है, जैसे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा से सुरक्षा। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम का प्रतिबंधित करता है, जो शोषण के खिलाफ प्रत्यक्ष सुरक्षा प्रदान करता है।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए अप्रत्यक्ष प्रावधान

संविधान में कई अप्रत्यक्ष प्रावधान भी हैं, जो महिलाओं पर विशेष रूप से केंद्रित नहीं होते हुए भी उनकी सुरक्षा और कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (अनुच्छेद 36–51), हालांकि न्यायोचित नहीं हैं, लेकिन महिलाओं के कल्याण को बढ़ावा देने वाली नीतियों को तैयार करने में राज्य का मार्गदर्शन करते हैं। अनुच्छेद 39 विशेष रूप से पुरुषों और महिलाओं दोनों के आजीविका के पर्याप्त साधन और समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार पर जोर देता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सुरक्षा को मजबूत करता है।

अनुच्छेद 51 (ए) (ई), मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा है, नागरिकों को महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह प्रावधान एक सामाजिक वातावरण को बढ़ावा देता है जो महिलाओं के लिए हानिकारक व्यवहार और परंपराओं को हतोत्साहित करता है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सुरक्षा में योगदान होता है। इसके अलावा, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 जैसे विभिन्न कानून इन संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं। साथ में, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रावधान एक व्यापक कानूनी ढांचा बनाते हैं जिसका उद्देश्य भारत में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और अधिक न्यायसंगत वातावरण बनाना है। संविधान न केवल राज्य को महिलाओं की सुरक्षा करने वाले कानून बनाने का अधिकार देता है, बल्कि समाज से महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को बनाए रखने वाले मूल्यों को अपनाने का आह्वान भी करता है। यह बहुआयामी दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि महिलाओं की सुरक्षा को कानूनी तंत्र, सामाजिक सुधारों और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के माध्यम से संबोधित किया जाता है, जिससे भारतीय संविधान लैंगिक न्याय के लिए चल रहे संघर्ष में एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है।

महिलाओं के अधिकारों की न्यायिक व्याख्या और विस्तार

पिछले कुछ वर्षों में भारत में न्यायपालिका ने महिलाओं की सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए संवैधानिक प्रावधानों के दायरे का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐतिहासिक निर्णयों ने मौलिक अधिकारों की व्याख्या करते हुए हिंसा और उत्पीड़न के विभिन्न रूपों के खिलाफ सुरक्षा को शामिल किया है। उदाहरण के लिए, 1997 में विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए, जिन्हें बाद में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 में संहिताबद्ध किया गया। इस मामले ने दिखाया कि न्यायपालिका महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा को बनाए रखने के लिए संवैधानिक जनादेशों, विशेष रूप से अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 का उपयोग करके कानून में अंतराल को कैसे पाट सकती है। इसी प्रकार, निर्भया मामले (2012) में, सर्वोच्च न्यायालय ने सम्मान के साथ जीने के अधिकार को सुदृढ़ करने के लिए अनुच्छेद 21 का आह्वान किया, जिसके परिणामस्वरूप आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 के तहत सख्त बलात्कार विरोधी कानून बनाए गए। ये न्यायिक व्याख्याएं सुनिश्चित करती हैं कि संवैधानिक प्रावधान गतिशील बने रहें और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित उभरती चुनौतियों के प्रति उत्तरदायी रहें।

विधायी और नीतिगत ढाँचे

संवैधानिक ढाँचे के आधार पर, महिलाओं की सुरक्षा को विशेष रूप से संबोधित करने के लिए कई विधायी उपाय लागू किए गए हैं। इनमें दहेज निषेध अधिनियम, 1961, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 और 2013 और 2018 के आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम शामिल हैं, जिन्होंने हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं के लिए उपलब्ध कानूनी सहारा को मजबूत किया है। ये कानून संविधान की समानता और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता में निहित हैं, जो महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रावधानों को दर्शाते हैं।

भारत में नीति परिदृश्य भी इन कानूनी ढाँचों का समर्थन करने के लिए विकसित हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएँ और समर्पित महिला हेल्पलाइन और आश्रयों की स्थापना महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के संवैधानिक दृष्टिकोण को लागू करने के लिए सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती हैं। इन पहलों को अनुच्छेद 15(3) जैसे संवैधानिक प्रावधानों द्वारा समर्थित किया जाता है, जो महिलाओं का समर्थन करने के लिए विशेष उपायों की अनुमति देता है।

मजबूत संवैधानिक और कानूनी ढाँचे के बावजूद, देश भर में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं। सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंड, पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण और प्रणालीगत अक्षमताएँ अक्सर संवैधानिक गारंटी की पूर्ण प्राप्ति में बाधा डालती हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के

लिए कानूनी सुधार, सामाजिक शिक्षा, आर्थिक सशक्तीकरण और प्रभावी कानून प्रवर्तन को शामिल करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

संवैधानिक प्रावधान एक ठोस आधार प्रदान करते हैं, लेकिन उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें शासन, न्यायिक सक्रियता और नागरिक समाज की भागीदारी के माध्यम से कैसे संचालित किया जाता है। जनता को संवेदनशील बनाने, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को प्रशिक्षित करने और महिलाओं के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए निरंतर प्रयास संवैधानिक आदर्शों को महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा में बदलने के लिए आवश्यक हैं।

भारतीय संविधान के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रावधान महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करते हैं। वे राज्य को सुरक्षात्मक कानून बनाने और एक ऐसे समाज को बढ़ावा देने के लिए सशक्त बनाते हैं जो महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करता है और उन्हें बनाए रखता है। इन संवैधानिक प्रावधानों द्वारा निर्देशित कानूनी व्याख्याओं और नीतिगत पहलों का निरंतर विकास यह सुनिश्चित करता है कि लैंगिक न्याय और महिला सुरक्षा की खोज भारत की लोकतांत्रिक और कानूनी प्रक्रियाओं का केंद्रीय केंद्र बनी रहे।

अतः नारी सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रावधानों का योगदान भारतीय परिदृश्य में अहम है जिसका उल्लेख निम्नलिखित है—

- अनुच्छेद 14 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।
- अनुच्छेद 15 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है।
- अनुच्छेद 15 (3) में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 16 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 23 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक लगाता है।
- अनुच्छेद 39 (ए), (डी) और (ई) में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य को पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए आजीविका के समान और पर्याप्त साधन प्रदान

करने और महिलाओं और कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य और ताकत के साथ समान काम के लिए समान वेतन प्रदान करने का आदेश देता है।

- अनुच्छेद 39। में इस बात का उल्लेख किया गया है कि समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए समान न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।
- अनुच्छेद 41 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य अपनी आर्थिक सीमाओं के भीतर सभी नागरिकों को कुछ मामलों में काम करने, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार की गारंटी देगा।
- अनुच्छेद 42 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य को काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करने का आदेश देता है।
- अनुच्छेद 47 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य को अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार आदि को ऊपर उठाना होगा।
- अनुच्छेद 51ए में इस बात का उल्लेख किया गया है कि महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने के लिए प्रत्येक नागरिक पर एक मौलिक कर्तव्य लगाता है।
- अनुच्छेद 243डी (3), 243टी (3) और 243आर (4) में इस बात का उल्लेख किया गया है कि महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए भारत का संविधान पंचायती राज व्यवस्था में सीटों के आवंटन के लिए दिशा प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 243डी (3) में इस बात का उल्लेख किया गया है कि महिलाओं के लिए आरक्षित प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या का 1६३ से कम नहीं होना चाहिए, और ऐसी सीटों को एक पंचायत में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बारी-बारी से आवंटित किया जाना है।
- अनुच्छेद 243टी (3) में इस बात का उल्लेख किया गया है कि महिलाओं के लिए आरक्षित प्रत्येक नगरपालिका में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या का 1६३ से कम नहीं होना चाहिए, और ऐसी सीटों को एक नगरपालिका में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित किया जाना है।

- अनुच्छेद 243ज (4) में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं में अध्यक्ष के पदों का आरक्षण इस तरह से प्रदान करता है जैसे किसी राज्य की विधायिका, कानून द्वारा प्रदान कर सकती है।
- भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को बनाए रखने के लिए, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने दलित वर्गों और महिलाओं के लिए समान शैक्षिक अधिकारों को पर्याप्त रूप से शामिल करने का प्रयास किया। इसलिए, कुछ विशेष प्रावधान शामिल हैं जैसे, अनुच्छेद 29 (2) अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा को परिभाषित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा जो केवल धर्म के आधार पर राज्य के फंड से सहायता प्राप्त करता है।
- अनुच्छेद 30 (1) में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 30 (2), में इस बात का उल्लेख किया गया है कि शैक्षणिक संस्थानों को सहायता प्रदान करते हुए, किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव करने से रोकता है कि यह एक भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक के प्रबंधन के अधीन है।
- अनुच्छेद 46 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि समाज के गरीब वर्ग के आर्थिक और शैक्षिक कल्याण से संबंधित है। यह उन्हें किसी भी सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाने का भी प्रयास करता है।

संवैधानिक प्रावधानों के अनुसरण में महिलाओं के हितों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कानून का योगदान भारतीय परिदृश्य में अहम है।

भारतीय संविधान में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसरण में महिलाओं के हितों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कानूनों का योगदान भारतीय स्वरूप में अहम है। भारतीय समाज में महिला दशा को सुधारने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सन 1948 में भारत की संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया जिसमें इस बात का उल्लेख है कि हिंदुओं में प्रचलित विभिन्न युवाओं को समाप्त करने और विवाह की एकमात्र कानून प्रणाली के रूप में एक विवाह स्थापित करने की मांग की गई थी। अंत में निष्कर्ष यह निकला कि सन 1951 में पहले चुनाव की पूर्व संध्या पर भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विधेयक को भारतीय संसद में गिरा दिया। तत्पश्चात कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया था इसका मुख्य कारण यह था कि यह बिल भारतीय समाज की महिलाओं के

उत्थान के लिए लाया गया था परंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बातों को नजरअंदाज कर दिया गया।

निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में महिला उत्थान कार्यक्रम का क्रियान्वयन भारत में ग्रामीण महिला सशक्तिकरण पहलों की संभावनाओं और जटिलताओं दोनों को दर्शाता है। अध्ययन से पता चलता है कि जबकि कार्यक्रम ने स्वयं सहायता समूहों, कौशल विकास और आय-उत्पादक गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं को संगठित करने में सहायनीय प्रगति की है, कई प्रशासनिक और सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ इसकी पूरी क्षमता को बाधित कर रही हैं। सीमित जागरूकता, बुनियादी ढाँचे की कमी, विलंबित निधि आवंटन और पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाओं से प्रतिरोध जैसी प्रमुख चुनौतियाँ योजना की प्रभावशीलता में बाधा डालती हैं। स्थानीय शासन निकायों की सक्रिय भागीदारी, विभागों के बीच बेहतर समन्वय, पदाधिकारियों का आवधिक प्रशिक्षण और डिजिटल निगरानी तंत्र ने आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। निरंतर प्रभाव के लिए, अधिक समावेशी, विकेंद्रीकृत और समुदाय-संचालित दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य है। प्रशासनिक क्षमता को मजबूत करना, जमीनी स्तर पर लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देना और लाभार्थियों से नियमित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना कार्यक्रम के परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है। बालोद जिले में महिला उत्थान कार्यक्रम की सफलता न केवल सरकारी नीति पर निर्भर करती है, बल्कि सक्रिय सामुदायिक सहभागिता, उत्तरदायी शासन और लैंगिक समानता के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धता पर भी निर्भर करती है। यह अध्ययन भारत भर में समान सामाजिक-आर्थिक संदर्भों में सर्वोत्तम प्रथाओं को दोहराने और कार्यान्वयन अंतराल को संबोधित करने के लिए एक रोडमैप के रूप में कार्य करता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. केथरीन मैकीनन, "फेमीनिज्म अनमोडीफाइड : डिस्कस ऑन लॉइफ एण्ड लॉ", हावर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1987, पृ. 147
2. रॉबिन गेल, "थीकिंग सैक्स : नीड्स फॉर ए रेडीकल थ्योरी ऑफ द पालिटिक्स ऑफ सेक्सुअलटी", अन्तर्गत- एस.कॉरल (सं.) पॅलेजर एण्ड डेन्जर : एक्सप्लोरिंग फीमेल सैक्सुअलटी", रटलेज, लंदन, 1984, पृ. 267-319
3. केथरील मेकीनन, "प्रोस्टीट्यूशन एण्ड सिविल राइट्स, जनरल ऑफ जेन्डर एण्ड लॉ", 1993, पृ. 13-31
4. प्रोस्टीट्यूशन इन यूरोप : 60 ईयर ऑफ रेल्यूडेन्स (प्रेस रिलीज) : यूरोपीयन विमैन्स लॉबी, 1 दिसम्बर 2009, रिट्राइव, 24 अक्टूबर, 2012

5. आर जैक्स, एन अब्राहम, "द एपीडेमिआलाजी ऑफ रेप एण्ड सैक्सुअल कारकॉइन इन सारुथ अफ्रीका", एन ऑवरव्यू, सोशियल साइंस एण्ड मेडीसीन, 1982 (55)(7) 1231, पृ. 44
6. सेन्डरा हार्डिंग, "इज देयर ए फेमिनिस्ट मेथड अन्तर्गत नैन्सी टूआना (सं.) फेमिनिज्म एण्ड साइंस", इंडियाना यूनिवर्सिटी प्रेस, 1989, पृ. 17
7. एलिस रे हेलफोर्ड, "फेमिनिस्ट साइंस फिक्शन अन्तर्गत गेरी वेस्टहॉफ (सं.) द ग्रीनवूड इनाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस फिक्शन एण्ड फेन्टसी", ग्रीनवूड प्रेस, 2005, पृ. 289–291
8. हिलर एम. लिप्स, "यूजिंग साइंस फिक्शन टू टिच द फिजोलॉजी ऑफ सेक्स एण्ड जेण्डर, जेण्डर ऑफ फिजोलॉजी" 17(3): 197–8, 1990 डी.ओ.आई. 101207 / 15328023 से 1703 17
9. संयुक्त राष्ट्र का घोषणा-पत्र और अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि, संयुक्त राष्ट्र सूचना केन्द्र, नई दिल्ली, 1995, पृ. 4
10. संयुक्त राष्ट्र का घोषणा-पत्र और अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि, नोट-65, पृ. 243–244
11. संयुक्त राष्ट्र का घोषणा-पत्र और अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि, नोट-65, पृ. 9
12. संयुक्त राष्ट्र का घोषणा-पत्र और अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि, नोट-65, पृ. 43
13. ए.के सिंह, एवं आशुतोष कुमार, "संयुक्त राष्ट्र संघ", कल्पना पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स", दिल्ली, 2003, पृ. 265
14. आशा कौशिक, "महिला अधिकारों का प्रश्न : भारतीय सन्दर्भ", राज्य शास्त्र समीक्षा, राजनीतिक विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, वर्ष-30, अंक 1–2, जयपुर, जनवरी-दिसम्बर, 2000, पृ. 28–29
15. मीरा कांत, "अन्तर्राष्ट्रीय महिला दशक और हिन्दी पत्रकारिता", क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 1994, पृ. 26
16. एम.के. सिंह एवं आशुतोष कुमार, नोट-69, पृ. 141

17. संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्बन्ध में बुनियादी तथ्य, संयुक्त राष्ट्र सूचना केन्द्र द्वारा अनुदित एवं प्रकाशित, 2001, पृ. 265
18. एम.के.सिंह, एवं आशुतोष कुमार, नोट-69, पृ. 142
19. संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्बन्ध में बुनियादी तथ्य, नोट-79, पृ. 202
20. संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्बन्ध में बुनियादी तथ्य, नोट-79, पृ. 202-203
21. आहुजा, राम, भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत प्रकाशन जयपुर, नई दिल्ली, 1999, पृ. 104
22. अल्तेकर, ए.एस., द पोजीशन ऑफ वोमेन इन हिन्दु सिविलाइजेशन, मोतीलाल बनारसी लाल, वाराणसी, 1956, पृ. 58
23. राजकुमार डॉ., नारी के बदले आयाम, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, 2005, पृ. 48 57
हसनैन, नदीम, समकालीन भारतीय समाज, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ, 2004, पृ. 17
24. आहुजा, राम, भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत प्रकाशन जयपुर, नई दिल्ली, 1999, पृ. 88
25. श्रीनिवास, एम.एन., द चेन्जिंग पोजीशन ऑफ इण्डिया वूमन, आक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी प्रेस, बॉम्बे, 1978, पृ. 98